राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	32/2020 राजेन्द्र कुमार / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण में इस प्रकार है की वादी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरुस्त रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम पुनाना पटवार क्षेत्र जयसिंहपूरा तहसील आमेर के कृषि भूमि ख.न. 384 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर अपनी पिताजी के समय से ही लगातार कब्जाशुदा है एवं वर्ष 1970 से तो वादी स्वयं कब्जा काश्त व खेती निरन्तर निर्बाध रूप से करता आ रहे है वादी उक्त भूमि पर 45 वर्षो से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर अपने परिवार का जीवनयापन करता आ रहा है वादपत्र के अंत में ईस्तदुआ की गयी की वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे एवं ग्राम पुनाना स्थित ख.न.384 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि पर वादी के विगत 45 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा लगातार कब्जे काश्त मुखालफाना के आधार पर एवं खसरा परिवर्तन निर्धारण एवं गैर मुस्तिकम तथा गिरदावरी के आधार पर माननीय न्यायालय के जरिये उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त की जाकर तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद निरस्त किये जाने की ईस्तदुआ की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16/05/2018 के द्वारा भूमि ख. न. 384 चारागाह रिकार्ड होने से वादी का वाद बार्ड बाई ला होने से ख़ारिज फरमा दिया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में उपलब्ध उक्त तहसीलदार मुण्डोता द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 के अवलोकन से यह स्पष्ट है की	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
32/2020	नरेन्द्र कुमार / सरकार

प्रकरण में विचारधीन आराजीयात राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है एवं इस सन्दर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (1) यह स्पस्ट प्रावधान निहित है की चारागाह भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी अपनी घोषणा चाही है इस सन्दर्भ में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चारागाह भूमि के सन्दर्भ में कब्जा मुखालखाना की अवधारणा किसी भी रूप में मान्य नही है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील दिनांक 16/05/2018 उचित प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर